6 1/20 पत्रावली प्रस्तुत। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। वकील अप्रार्थी उपस्थित। वकील पक्षकारान द्वारा की गई बहस, संलग्न दस्तावेजों के एवं भू-अभिलेख निरीक्षक, गिरदावरी की मौका एवं रिकॉर्ड की रिपोर्ट पश्चात् (अवलोकन पश्चात्) न्यायालय यह समझता है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना समीचीन है।

फलतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की कृषि भूमि वाके चक 1 एम.डी. तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा न. 52 पत्थर सं. 161/31 के किला नंबर 1 ता 5 व 6 ता 10, 13 ता 15 में आवागमन के लिए रास्ते की आवश्यकता को परमावश्यक मानते हुए एवं वैकल्पिक साधनों का अभाव सिद्ध हो जाने के आधार पर अप्रार्थी सं. 1 की ~~मुरब्बा सं. 52 पत्थर सं. 161/31 के किला~~

किला नं. 16 व 25 में किला नं. 17 एवं 24 से चिपते हुए प्रत्येक में 2-2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जाता है एवं तहसिलदार, अनूपगढ़ को उक्त स्वीकृत रास्ते का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करने हेतु आदेशित किया जाता है।

उक्त आदेश का क्रियान्वयन निम्नानुसार मुआवजे का प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी सं. 1 को भुगतान किए जाने की स्थिति में ही लागू होगा अन्यथा नहीं:-

(i) कुल 4 बिस्वा भूमि का मुआवजा प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी सं. 1 को दिया जाना था, जिसमें से 1 बिस्वा जरिए बैयनामा अप्रार्थी सं. 1 द्वारा दिनांक 30.03.19 को प्रार्थी सं. 1 को बेचान की जा चुकी है। अतः 3 बिस्वा भूमि का मुआवजा दिया जाना शेष है।

(ii) यदि तबादलानामा दिनांक 21.05.2012 का निष्पादन हो चुका है तो 2 बिस्वा भूमि का मुआवजा डिसलसी की दोगुनी दर से प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी सं. 1 को भुगतान किया जावे।

(iii) यदि तबादलानामा दिनांक 21.05.2012 का आज दिनांक तक निष्पादन नहीं हुआ है, तो प्रार्थीगण द्वारा 3 बिस्वा भूमी का मुआवजा DLC की दोगुनी दर से अप्रार्थी सं. 1 को किया जावे।

विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जावेगा। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2020.01.24 16:39:37 IST
Reason: SelfAttested
Location: